

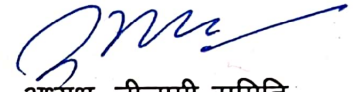
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा (राज0)

क्रमांक: 135

नीलामी सूचना

दिनांक : 18/03/26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के नाकारा /अप्रचलित/अनुपयोगी आई.टी. ईक्यूपमेन्ट जिसका पुस्तक मूल्य 2,22,091/- है। की नीलामी दिनांक 28.03.2026 समय 3:00 पी.एम. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा में की जावेगी। अमानत राशि 4500/- जमा कराकर कोई भी व्यक्ति जो जी.एस.टी के अन्तर्गत पंजीकृत है नीलामी में भाग ले सकेगा। नीलामी की शर्तें कार्यालय की लेखाशाखा/कम्प्यूटरशाखा तथा ऑनलाइन जिला न्यायालय कोटा की वेबसाइट [https:// Kotadcourt.gov.in](https://Kotadcourt.gov.in) पर देखी जा सकती है।



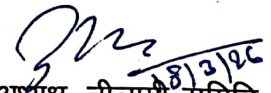
अध्यक्ष, नीलामी समिति
न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 न्यायालय,
कोटा

दिनांक: 18/03/26

क्रमांक : 5262-5270

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही वास्ते-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय, जन सम्पर्क अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
3. सिस्टम ऑफिसर, ई-कोर्ट प्रॉजेक्ट, जिला एवं सेशन न्यायानय, कोटा को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन जिला न्यायालय, कोटा की वेबसाइट पर कर, पुष्टि उपलब्ध करवाने हेतु।
4. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना का निःशुल्क प्रकाशन समाचार पत्रों में करवाने का श्रम करावे।
5. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/सूचना केन्द्र/कोषालय, कोटा पर चस्पा हेतु।



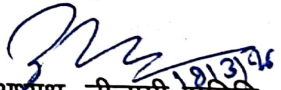
अध्यक्ष, नीलामी समिति
न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 न्यायालय,
कोटा

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा (राज0)

—:नीलामी की शर्तें :-

इच्छुक व्यक्ति नीलामी के समय उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन बोली लगा सकते हैं—

1. नीलामी चयनित आर्टिकल्स की नीलामी में इच्छुक जी0एस0टी0 में पंजीकृत फर्म/व्यक्ति 4500/- रुपये जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते।
2. नीलामी बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति/ फर्म को जीएसटी रजिस्ट्रेशन/ पहचान की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. नीलामी हेतु समस्त सामग्री को मौके पर नीलामी प्रारम्भ करने से पूर्व देखा जा सकेगा।
4. नीलामी हेतु चयनित आर्टिकल्स (सामग्री) हेतु नियत न्यूनतम सरकारी बोली से कम बोली स्वीकार नहीं होगी।
5. बोली स्थगित या रद्द करने का अन्तिम निर्णय अध्यक्ष नाकारा अनुपयोगी आई टी ईक्यूपमेन्ट निस्तारण कमेटी का होगा।
6. सफल बोलीदाता को सामग्री 03 कार्य दिवस के अन्दर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. सफल बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण राशि कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् ही सामग्री का उठाव किया जा सकेगा।
8. सामग्री पर लगने वाली जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा नियमानुसार जीएसटी जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
9. अन्य जो भी शर्तें होगी मौके पर बता दी जावेगी।


अध्यक्ष, नीलामी समिति

न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 न्यायालय,
कोटा